

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

— प्रपत्र-8 —

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है—

क्र.सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान (राजस्थान)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	बन्नालाल गुर्जर अजगरा-अजमेर	भूगोल	07.12.58	31.12.18
2	निशी वैद्य बा0 राजगढ़-अलवर	अर्थशास्त्र	12.09.58	30.09.18
3	अनीता कुमारी शर्मा बा0 बूडौदामेव, लक्ष्मणगढ़	अर्थशास्त्र	08.08.58	30.06.18
4	अमर सिंह प्रजापत डेरा-शैली-अलवर	भूगोल	01.06.58	31.05.18
5	रामजी लाल मीना सेहरा-लक्ष्मणगढ़-अलवर	भूगोल	18.07.58	31.07.18
6	सर्वेश्वर दयाल शर्मा पाडा-अलवर	भूगोल	16.10.58	31.10.18
7	अजीज मुहम्मद सरवाडा-अजमेर	शा.शिक्षा	01.06.58	31.05.18
8	श्रीमती आमेरा फारुकी गिर्वा-उदयपुर	उर्दू	22.06.58	30.06.18
9	मदनलाल भाटी लौटोती-पाली	भूगोल	09.01.59	31.01.19
10	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा सरानीखेडा, धौलपुर	भूगोल	11.10.58	31.10.18
11	श्री राजेश हरदेनिया खेरली, राजाखेडा-धौलपुर	भूगोल	14.08.58	31.08.18
12	गुलझारी लाल जानू बा0 उदयपुर वाटी, झुझुनु	शा0शि0	12.07.58	31.07.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट— वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(अशु कुमार)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 21-02-18

क्रमांक:शिविर/माध्य/संस्था/सी- 5/सेवानिवृत्त /18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
2. संबंधित शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक,
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक,
4. संबंधित प्रधानाचार्य
5. सम्बन्धित कार्मिक
6. कम्प्यूटर अनुभाग
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: प्रपत्र-6 :—

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	कुसुमलता शर्मा राउमावि खैरथल-अलवर	अर्थशास्त्र	11.08.58	31.08.18
2	धर्मपाल सिंह कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम, सीकर	वैलीबाल प्रशिक्षक	15.09.58	30.09.18
3	नजमुन्निसा राउमावि कोहना-टोंक	उर्दू	20.10.58	31.10.18
4	रामगोपाल गुर्जर राउमावि देशमा-टोंक	भूगोल	30.03.59	31.03.19
5	नसीम अहमद राउमावि ऋषभदेव, उदयपुर	चित्रकला	18.03.59	31.03.19
6	दरब सिंह जाट राउमावि हिण्डौन सिटी, करौली	अर्थशास्त्र	15.07.58	31.07.18
7	चन्द्रभान सिंह राउमावि गोहाना-अजमेर	भूगोल	28.09.58	30.09.18
8	रामानुज शर्मा राउमावि गंगापुर सोमा0	अर्थशास्त्र	13.01.59	30.09.18
9	श्री मोहम्मद रशीद खाँ राउमावि सेहला-चूरु	उर्दू	28.02.58	28.02.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 18 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिबेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 21-02-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/ सेवानिवृत्त /2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक,
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. कम्प्यूटर अनुभाग
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान-सरकार

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

### आदेश


निम्नांकित कार्मिक जो प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) (राजनीति विज्ञान), के रूप में नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय / संस्था में कार्यरत है, को अधिवाषिकी की आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं समकक्ष मय पदस्थापन स्थान (राउमावि) श्री/सुश्री/श्रीमती	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	ओम प्रकाश पटेल राउमावि साथीन तह.पीपाड शहर	जोधपुर	01.04.1958	31.03.2018
2.	सत्यप्रकाश जोशी राउमावि सारवार	अजमेर	25.03.1958	31.03.2018
3.	कपिलसिंह गरसा राउमावि पीपली	झुन्झुनू	15.03.1958	31.03.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।

  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.  
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2017-18/2017


दिनांक:- 20/2/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग .....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ——
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा .....
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा .....
5. संबंधित संस्था प्रधान.....
6. संबंधित कार्मिक

7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर

8. मिजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)


### सेवानिवृत्ति-आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/ राबाउमावि )	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	अचला बालियान राबाउमावि बहादुरपुर, अलवर	गृह विज्ञान	25.04.1958	30.04.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिलेल)


आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/15601/सेवानिवृत्ति/18-19/ दिनांक:- 22/02/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, अलवर
2. संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अलवर
3. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैय प्रमाण पत्र जारी करें।
5. संबंधित प्राध्यापक अचला बालियान, राबाउमावि बहादुरपुर अलवर (RVRES)
6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
7. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक) •  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर